

आदेश

आ०सं० – वि० प्रा० (II) स्था०-09/2019/ 336 /पटना, दिनांक – 3.2.2020

ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज में डॉ० फजले सरवर, तत्कालीन प्राचार्य द्वारा अतिथि व्याख्याताओं के चयन प्रक्रिया में की गई गंभीर अनियमितताओं के आलोक में अतिथि व्याख्याताओं के चयन को रद्द किया जाता है। नये सिरे से अतिथि व्याख्याताओं के चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज, ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज एवं राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी के प्राचार्य मिलकर ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज के लिए अतिथि व्याख्याताओं के चयन की कार्रवाई करेंगे। इस चयन प्रक्रिया में पूर्व के अतिथि व्याख्याताओं को भी आवेदन करने की छूट रहेगी।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
3. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।



सरकार के संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- वि० प्रा० (II) स्था०-09/2019/ 336 /पटना, दिनांक – 3.2.2020

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- वि० प्रा० (II) स्था०-09/2019/ 336 /पटना, दिनांक – 3.2.2020

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज/ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज/राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी/विभागीय आई०टी० मैनेजर (अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।